रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 449] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 28, 1989/भाद्र 6, 1911
No. 449] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 28, 1989/BHADRA 6, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1989

सा.का.नि. 786 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 3 के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय (खान और

ईंधन विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 436, तारीख 1 जून, 1958 को अधिक्रांत करते हुए, निम्नलिखित खनिजों को छोटे खनिज घोषित करती है, अर्थात् :—

"बालमिल के प्रयोजनों या बेधन कुओं की भराई के लिए या भवनों में साज-सज्जा के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले गोलाश्म, खपच्ची, कैल्सेडोनी या अशुद्ध स्फटिक, बटिकाश्म; चूना-कोश, कंकर और चूना-पत्थर जब उनका निर्माण-सामग्री के रूप में प्रयुक्त चूने के निर्माण के लिए भट्टों में प्रयोग किया जाए, मुरम, इष्टिका-मृत्तिका, मुल्तानी मिट्टी, बेन्टोनाइट, सड़क पत्थर - रेह-मट्टी, स्लेट और शेल जब उनका निर्माण-सामग्री के लिए प्रयोग किया जाए।"

[फा.सं. 1(9)/88-एम-6]

सुरेन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF STEEL & MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 1989

G.S.R. 786(E).—In exercise of the pwers conferred by Clause (e) of section 3 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 to 1957) and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Mines and Fuel) No. G. S. R. 436, dated the 1st June, 1988, the Central Government hereby declares the following minerals to be minor minerals, namely :—

"boulder, shingle, chalcedony or impure quartz pebbles used for bal mill purposes or filling for bore-wells or for decorative purposes in buildings, limeshell, kankar and limestone when used in kilns for manufacture of lime used as building material, murrum, brick-earch, fuller's earth, bentonite, road metal, reh-matti, slate and shale when used for building material.

[F. No. 1 (9) |88-M.VI.
SURENDRA MISHRA, Jt. Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1989